



Neutral Citation No-2026:AHC:1294

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 4591 वर्ष 2025

श्रीमती राम काली याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: मुकेश चंद्र गुप्ता, शुभम प्रकाश गुप्ता

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और प्रतिपक्षी संख्या-1 से 4 के स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग किया है, जिसमें अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक)/चकबंदी उप निदेशक, आगरा (संक्षिप्तता में 'डी.डी.सी.') द्वारा संशोधन संख्या-0037 वर्ष 2025 में पारित आदेश की पुष्टि करते हुए 28.08.2025 को निपटान अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की गई है (संक्षिप्तता में 'एस.ओ.सी.' में), जिसके तहत परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत देरी माफी आवेदन की अनुमति दी गई है।
3. एस.ओ.सी. द्वारा पारित दिनांक 11.11.2024 के आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि अपील संख्या-73 को दिनेश कुमार (प्रतिपक्षी संख्या-5) द्वारा 02.02.2024 को विलंबित चरण में उत्तर प्रदेश चकबंदी/जोत अधिनियम (संक्षिप्तता में 'यू.पी.सी.एच. अधिनियम') की धारा 6-ए के तहत पारित दिनांक 05.11.2019 के आदेश के खिलाफ प्राथमिकता दी गई है। प्रतिपक्षी संख्या-5 द्वारा भी 14.12.2023 को यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 12 के तहत केस संख्या-103 में दिनांक 27.07.2023 के आदेश के खिलाफ एक अन्य अपील संख्या-74 को प्राथमिकता दी गई है। एस.ओ.सी. ने दिनांक 11.11.2024 के आदेश के माध्यम से परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत विलंब माफी आवेदन की अनुमति दी है और अपील के गुण-दोष

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पर सुनवाई के लिए तारीख तय की है। दिनांक 11.11.2024 के आदेश से व्यथित होने के बाद, राम काली (याचिकाकर्ता) ने पुनरीक्षण को प्राथमिकता दी है। डी.डी.सी. ने एस.ओ.सी. द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए संशोधन को खारिज कर दिया है।

4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के साथ-साथ स्थायी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर विचार करने और अभिलेखों के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि एस.ओ.सी. ने अपने अधिकार क्षेत्र के सकारात्मक प्रयोग में देरी माफी आवेदन की अनुमति दी है और प्रतिपक्षी संख्या-5 की ओर से पसंद की गई अपील को सीमा की निर्धारित अवधि के भीतर दायर करने का इलाज किया है। दोनों पक्षों के बीच विवादास्पद संपत्ति के बीच विवाद चल रहा है जो मूल रूप से रामनाथ की है। प्रतिपक्षी संख्या-5 खुद को रामनाथ का पुत्र होने का दावा कर रहा है और प्रस्तुत याचिकाकर्ता पुष्पा देवी की प्रतिशोध है जो रामनाथ के पूर्व-मृत पुत्र, अर्थात् राजवीर सिंह की पत्नी थी। चकबंदी अधिकारी ने यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 6-ए के तहत मामले का फैसला किया है। एस.ओ.सी., दोनों पक्षों को सुनने के बाद, सही निष्कर्ष पर पहुंचा कि पक्षों को अपने मामले का बचाव करने का अवसर दिया जाना चाहिए। डी.डी.सी. ने यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 48 के तहत अपने पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए एस.ओ.सी. एस.ओ.सी. और डी.डी.सी. द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधता, विकृति या दुर्बलता नहीं है। अभिलेखों से कुछ भी प्रदर्शित नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता कैसे पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, या यदि उसके लिए न्याय के हानि/क्षति का कोई कारण बनने की कोई संभावना है, तो अपीलीय अदालत के साथ-साथ पुनरीक्षण अदालत द्वारा पारित आदेशों का पालन करता है।

5. परिणामस्वरूप, प्रस्तुत रिट याचिका, गलत और गुण-दोष से रहित होने के कारण, लागत के रूप में बिना किसी आदेश के **खारिज** की जाती है।

6. मामले को सुलझाने से पहले, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने मौखिक रूप से एस.ओ.सी. को निर्धारित अवधि के भीतर अपील पर फैसला करने का निर्देश देने के लिए प्रार्थना की है।

7. स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है, यदि एस.ओ.सी. को अपील पर शीघ्रता से निर्णय लेने का निर्देश जारी किया जाता है।

8. मामले के इस दृष्टिकोण में, एस.ओ.सी., आगरा, जिसके समक्ष प्रतिपक्षी संख्या-5 की ओर से दायर की गई अपील विचाराधीन है, उपरोक्त अपीलों पर शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश



की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेने का प्रयास करेगा।

जनवरी 6, 2026

वीआर

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)